

कार्यालय अधिष्ठाता

छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिन्दवाड़ा (म.प्र.) 480001

(An Institute Under Government of Madhya Pradesh)

Email: deanmedicalcollegechhindwara@gmail.com

दूरभाष – 07162-297009

क्रमांक / स्था0 / विज्ञाप / 2026 / 1609

छिन्दवाड़ा, दिनांक :- 30/01/2026

Walk – In- Interview

छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) में सीनियर एवं जूनियर रेसीडेंट के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पर साक्षात्कार (**Walk– In-Interview**) आयोजित किया जा रहा है। इच्छुक आवेदक अपनी उपस्थिति छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिन्दवाड़ा (म.प्र.) में दिनांक 03/02/2026 से हर सप्ताह मंगलवार एवं गुरुवार अपने समस्त अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियों सहित कार्यालयीन समय में अधिष्ठाता कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। आवेदन प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक ही लिये जायेंगे।

रिक्त सीनियर रेसीडेंट के पदों का विवरण –

क्रमांक	विषय	कुल विज्ञापित पद संख्या	आरक्षण रॉस्टर				
			सीनियर रेसीडेंट				
			UR	EWS	OBC	ST	SC
1	जनरल मेडिसिन विभाग	2	-	-	1	1	-
2	जनरल सर्जरी विभाग	1	-	-	1	-	-
3	रेडियोडायग्नोसिस विभाग	2	1	-	1	-	-
4	रेडियोथेरेपी विभाग	1	1	-	-	-	-
5	पी.एम.आर विभाग	1	1	-	-	-	-
6	स्त्रीरोग एवं प्रसूतिशास्त्र विभाग	2	1	-	1	-	-
	कुल योग	09	4	-	4	1	-

सीनियर रेसीडेंट का वेतन प्रतिमाह –रूपये 88,210/- देय रहेगा।

रिक्त जूनियर रेसीडेंट के पदों का विवरण –

क्रमांक	विषय	कुल विज्ञापित पद संख्या	आरक्षण रॉस्टर				
			सीनियर रेसीडेंट				
			UR	EWS	OBC	ST	SC
1	शिशुरोग विभाग	1	-	-	1	-	-
	कुल योग	01	-	-	1	-	-

जूनियर रेसीडेंट का वेतन प्रतिमाह –रूपये 61,515/- देय रहेगा।


अधिष्ठाता
छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस,
छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

नोट—

1. आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रहेगा।
2. पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धियां की जा सकती है।
3. अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं मिलते हैं तो इस स्थिति में सीटे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी। आरक्षित वर्ग के चिकित्सक का चयन होने पर श्रेणी के विरुद्ध चयनित चिकित्सक का नियुक्त आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
4. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यार्थी साक्षात्कार का पात्र नहीं हो जावेगा।
5. रिक्त पद उपलब्ध होने तक वाक-इन-इंटरव्यूह जारी रहेगा। अतः आवेदन के पूर्व पद की उपलब्धता का पता कार्यालय की स्थापना शाखा से ज्ञात किया जा सकेगा।
6. उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण-पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

शर्तें —

1. अवधि — सीनियर रेसीडेंट/जूनियर रेसीडेंट की सेवा अवधि (Tenure) तीन वर्ष की होगी। प्रथमतः 01 वर्ष हेतु नियुक्ति की जावेगी तत्पश्चात् सेवायें संतोषजनक पाये जाने पर एक वर्ष बढ़ाते हुए अधिकतम तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।
2. नियुक्ति का तरीका — योग्य अभ्यार्थियों का चयन एम0बी0बी0एस0/एम0डी0/एम0एस0/एम0डी0एस0/सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के अंको एवं साक्षात्कार उपरांत किया जावेगा। नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तकर्ता अधिकारियों द्वारा की जावेगी।
3. आवेदन शुल्क — समस्त प्रवर्गों के आवेदक आवेदन शुल्क प्रत्येक पद हेतु रुपये 1000/— (शब्दों में रुपये एक हजार मात्र/—) अधिष्ठाता, छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा के नाम देय हो प्रस्तुत करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे अभ्यार्थी को अपना पूरा नाम/पता व विषय तथा नंबर यदि कोई लिखना आवश्यक होगा। किसी भी अवस्था में राशि लौटायी नहीं जावेगी।

Account Details	
A/c Holder	Dean Chhindwara Institute of Medical Sciences, Chhindwara
Bank Name	State Bank of India Circular Road Dist. Chhindwara Madhya Pradesh
A/c No	37739004173
IFSC	SBIN0000348
UPI ID	deanmedicalchhindwara@sbi

4. नियम एवं निर्देश — म0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग म0प्र0 भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ2-44/07/1/55, भोपाल दिनांक 17/12/2021 एवं म0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 2-42/2007/1/55 (पार्ट) भोपाल दिनांक 12.01.2024 के द्वारा जारी सीनियर रेसीडेंट एवं जूनियर रेसीडेंट की चयन प्रक्रिया एवं पात्रता निम्नानुसार रहेगी।

1. जूनियर रेसीडेंट —

पात्रता —

- जूनियर रेसीडेंट के पद हेतु आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर इन्टर्नशिप पूर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होगा।

- आरक्षित वर्ग रिक्तियों विरुद्ध चिकित्सक उपलब्ध होने अनूसूचित जनजाति, अनूसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य श्रेणी के क्रम में उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी।

अवकाश –

जूनियर रेसीडेंट को प्रतिसप्ताह 01 दिवस की अवकाश पात्रता रहेगी। तथा प्रतिवर्ष 12 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता रहेगी। साप्ताहिक अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा। अवकाश के समस्त प्रकरणों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम रहेगा।

2. सीनियर रेसीडेंट –

पात्रता –

- सीनियर रेसीडेंट के पद हेतु आवेदन की अंतिम तिथि के 05 वर्ष के अंदर एम0डी0/एम0एस0/डी0एन0बी0/डिप्लोमा/एम0डी0एस0 पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होंगे।
- चिकित्सक की उम्र 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- एन0एम0सी0 द्वारा समय-समय पर जारी अर्हताएं स्वतः लागू होंगी।

अपात्रता –

- एम0डी0/एम0एस0/एम0डी0एस0 पाठ्यक्रम की अध्यनरत् अवधि में अधिष्ठाता/प्रार्चाय, चिकित्सा, दंतचिकित्सा महाविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर चिकित्सकीय कार्य नहीं किये जाने अथवा महाविद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।
- विधि द्वारा स्थापित नियमों के विरुद्ध किसी अवधि के लिये चिकित्सकीय कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।
- पाठ्यक्रम अवधि में छात्र/छात्रा के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण संस्थित होना।
- पाठ्यक्रम अवधि में पदीय कर्तव्यों में लापरवाही, अधिष्ठता, अशोभनीय व्यवहार अथवा अनुशासनहीनता पाये जाने पर।
- बिन्दू 1 से 4 दर्शित कारणों से चिकित्सकीय कार्य से अनुपस्थित रहने स्थिति में ऐसे छात्र/छात्राएं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित किसी भी संस्था में सेवा के लिए पात्र नहीं माने जावेगे।
- उपरोक्त बिन्दूओं के संबंध में छात्र/छात्रा द्वारा पी0जी0 पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने पर संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण-पत्र में उपरोक्त बिन्दूओं से संबंधित टीप अंकित की जावेगी।

चयन विधि –

- अधिष्ठाता की अध्यक्षता चिकित्सकों चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चिकित्सकों का चयन किया जावेगा।
- चयन हेतु प्रथमतः स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जावेगी। इसके पश्चात् शेष पदों के लिये प्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों पर विचार किया जाकर तत्पश्चात् निजी चिकित्सा महाविद्यालय अन्य महाविद्यालयों के उम्मीदवारों पर विचार किया जावेगा।

अपात्रता –

- एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम की अध्यनरत् अवधि में अधिष्ठाता/प्रार्चाय, चिकित्सा, दंतचिकित्सा महाविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर चिकित्सकीय कार्य नहीं किये जाने अथवा महाविद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।
- विश्वविद्यालय द्वारा स्थपित नियमों के विरुद्ध किसी अवधि के लिये चिकित्सकीय कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।
- पाठ्यक्रम अवधि में छात्र/छात्रा के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण संस्थित होना।
- पाठ्यक्रम अवधि में पदीय कर्तव्यों में लापरवाही, अधिष्ठता, अशोभनीय व्यवहार अथवा अनुशासनहीनता पाये जाने पर।
- बिन्दू 1 से 4 दर्शित कारणों से चिकित्सकीय कार्य से अनुपस्थित रहने स्थिति में ऐसे छात्र/छात्राएं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित किसी भी संस्था में सेवा के लिए पात्र नहीं माने जावेगे।
- उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में छात्र/छात्रा द्वारा इंटरनशिप पूर्ण करने पर संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा जारी किये जाने वाले Internship Completion Certificate में इस आशय की स्पष्ट टीप दिया जाना आवश्यक होगा।

चयन विधि –

- अधिष्ठाता की अध्यक्षता चिकित्सकों चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चिकित्सकों का चयन किया जावेगा।
- योग्य अभ्यर्थियों का उनके एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम करने लगे Attempts सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के सकल प्रतिशत साक्षात्कार पर नियत होगा।
- चयन हेतु प्रथमतः स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जावेगी। इसके पश्चात् शेष पदों के लिये प्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों पर विचार किया जाकर तत्पश्चात् निजी चिकित्सा महाविद्यालय अन्य महाविद्यालयों के उम्मीदवारों पर विचार किया जावेगा।
- चयनित उम्मीदवारों की सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी। द्वारा मध्य सेवायें छोड़ने पर शेष अवधि के लिए प्रतीक्षारत का चयन किया जावेगा। यह प्रतीक्षा सूची 01 वर्ष के लिए वैद्य रहेगी।
- चयनित जूनियर रेसीडेंट का निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं रहेगी।

(Tenure) टेन्यूर –

- टेन्यूर की अवधि 03 वर्ष होगी।
- 01 वर्ष की टेन्यूर अवधि पूर्ण होने पर विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित का कार्य संतोषपद होने संबंधी ,की गयी अनुशंसा के आधार पर आगामी वर्ष के बढ़ाया जावेगा। अन्यथा जूनियर रेसीडेंट की 01 वर्ष की टेन्यूर अवधि समाप्त की जावेगी।
- विभागाध्यक्ष द्वारा चिकित्सक का कार्य संतोषजनक रिपोर्ट नहीं देने अथवा अनाधिकृत रूप से अवकाश पर रहने पर उसकी सेवायें तत्काल समाप्त करने का अधिकार अधिष्ठाता को होगा।

आरक्षण –

- राज्य शासन द्वारा अद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।

- चिकित्सक द्वारा जिस विषय में एम0डी0 / एम0एस0 / डी0एन0बी0 / डिप्लोमा / एम0डी0एस0 किया है उसी विषय के लिए पात्रता होगी।
- चयन का क्रमशः डिग्रीधारी / डी0एन0बी0 / डिप्लोमा होगा।
- विभिन्न विषयों में उत्तीर्ण एम0डी0एस0 उम्मीदवारों का चयन पी0जी0, एम0डी0एस0 परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की गयी मैरिट के अनुसार होगा।
- चयनित सीनियर रेसीडेंट को निजी प्रैक्टिस की पात्रता नहीं रहेगी।

(Tenure) टेन्यूर –

- टेन्यूर की अवधि 03 वर्ष होगी।
- 01 वर्ष की टेन्यूर अवधि पूर्ण होने पर विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित का कार्य संतोषप्रद होने संबंधी की गई अनुशंसा के आधार पर आगामी वर्ष के लिए बढ़ाया जावेगा अन्यथा सीनियर रेसीडेंट 01 वर्ष टेन्यूर अवधि पश्चात् स्वतः समाप्त जावेगा।
- विभाग में पदस्थ सीनियर रेसीडेंट के संबंध में संबंधित विभागाध्याक्ष की प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने पर अधिष्ठाता को संबंधित विभागाध्यक्ष संबंधित चिकित्सालय के अधीक्षक तथा 02 वरिष्ठतम प्राध्यापक की गठित समिति के परामर्श से ऐसे सीनियर रेसीडेंट की नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के अधिकार प्रदत्त होगा इस प्रकार से पृथक किये गये चिकित्सक को इस पद हेतु पुनः आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।
- विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित चिकित्सक के अनाधिकृत रूप से अवकाश पर रहने अथवा कार्य संतोषप्रद न होने संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के अधिकार अधिष्ठाता को प्रदत्त होंगे।

आरक्षण –

- राज्य शासन द्वारा/अद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।
- निर्धारित आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों के विरुद्ध प्रथमतः संबंधित श्रेणी के प्रदर्शकों/ट्यूटर्स/चिकित्सा अधिकारियों का चयन किया जायेगा तदोपरांत सीनियर रेसीडेंसी हेतु अन्य चिकित्सकों का चयन होगा।
- आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरुद्ध चिकित्सक उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य श्रेणी के क्रम से उपलब्ध से भरी जा सकेंगी।

अवकाश –

सीनियर रेसीडेंट को प्रति सप्ताह 01 दिवस के अवकाश के पात्रता होगी तथा प्रतिवर्ष 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी, साप्ताहिक अवकाश संचित नहीं किया जा सकेंगा, अवकाश के समस्त प्रकरणों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा, सीनियर रेसीडेंट के पद पर रहते हुये मूल पद से जुड़े किसी अन्य प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

प्रदर्शकों/ट्यूटर्स/चिकित्सा का सीनियर रेसीडेंट में चयन:

- सीनियर रेसीडेंट के पद हेतु आवेदन जमा करने की तिथि के पांच वर्ष के अन्दर एम0डी/एम0एस0/डीन0एन0बी/डिप्लोमा/एम0डी0एस0/ पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होंगे।
- एन0एम0सी0 द्वारा समय-समय पर जारी अर्हतायें स्वतः लागू होगी।
- जिस प्रदर्शक/ट्यूटर/चिकित्सा अधिकारी ने जिस विषय में एम0डी/एम0एस0/एम0डी0एस0 किया है उसकी सिर्फ उसी विषय के लिए सीनियर रेसीडेंसी की पात्रता रहेगी।

चयन विधि -

- ऐसे प्रदर्शकों/ट्यूटर्स/चिकित्सा अधिकारियों ने एम0डी/एम0एस0/एम0डी0एस0 पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है उन्हें सीनियर रेसीडेंट के पद के लिये सर्वप्रथम प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
- साक्षात्कार के समय जिन प्रदर्शकों/ट्यूटर्स/चिकित्सा अधिकारियों ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय छिन्दवाड़ा से एम0डी/एम0एस0/एम0डी0एस0 किया उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी उसके बाद म0प्र0 के किसी भी अन्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जावेगी, तदोपरांत रिक्तियां रहने पर निजी चिकित्सा महाविद्यालय के उम्मीदवारों पर विचार किया जावेगा।

सीट का आरक्षण -

- राज्य शासन द्वारा अपद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी
- निर्धारित आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों के विरुद्ध प्रथमतः संबंधित श्रेणी के प्रदर्शकों/ट्यूटर्स/चिकित्सा अधिकारियों का चयन किया जायेगा।
- मध्यप्रदेश के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा

वेतन भत्ते -

- प्रदर्शक/ट्यूटर/चिकित्सा अधिकारी को अपने पद से संबंधित वेतन भत्तों की पात्रता होगी।

टीप -

जिन प्रदर्शक/ट्यूटर/चिकित्सा अधिकारियों को सीनियर रेसीडेंट के पद पर पदस्थ किया गया है, ऐसे प्रदर्शक/ट्यूटर/चिकित्सा अधिकारी का अपने मूल पद के विरुद्ध धारणाधिकार स्थापित रहेगा, जिस कारण चिकित्सा महाविद्यालय उक्त पद के विरुद्ध किसी अन्य चिकित्सक को नियुक्त नहीं करेगा।

यात्रा भत्ता -

साक्षात्कार के लिये बिना किसी भी अभ्यार्थी को यात्रा भत्ता इस संस्था द्वारा नहीं दिया जायेगा उन्हें स्वयं के व्यय पर यात्रा करना होगा।

अन्य शर्तें -

- आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 - सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाये गये अनुसार बंधनकारी होगी।
 - यदि कोई आवेदक किसी संस्था में पूर्व से कार्यरत है तो उसे आवेदन के समय ही नियोक्ता का अनापत्ति/त्याग पत्र स्वीकृती प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 - उम्मीदवार को म0प्र0 राज्य मेडिकल कौंसिल भोपाल अथवा मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
 - मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिष्ठाता द्वारा सीनियर रेसीडेंट की विभागों में संख्या कार्य आवश्यकता अनुसार समय-समय पर परिवर्तित किया जा सकेंगा।
- साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।

अधिष्ठाता
छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस,
छिन्दवाड़ा (म.प्र.)